59

सं0 1455 /XXIV(1) /2015–7 / 2005 टी0सी0

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2015**

विषयः जनपद पिथौरागढ़ के रा0प्रावि0 बाटुला के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–नियोजन/12746/नियम–300/2015–16 दिनांक 04.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के रा0प्रा0वि0 बाटुला के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु अनुदान सं0 11 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में वर्ष 2015–16 हेतु की गयी बजट व्यवस्था से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा टी0ए0सी0 उपरान्त अनुमोदित धनराशि रू0 18.92 लाख के सापेक्ष प्राविधानित में अवशेष रू0 7.31 **(रूपये सात लाख इक्तीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किए जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखने हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति कम आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

......2/......

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurment Rules, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

03– उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 03–प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सॅ0–197(P)/XXVII(3)/2015–16 दिनांक 24– 9–2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

सं0 (i)/xx /2015–07/2005, टी0सी0/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
04. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
05. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
06. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–5
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।